कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड शासन
अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक– 413 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक, सितम्बर, 15 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भ:– आपकी पत्र संख्या 74/FP/UK/IRRIG/155063/2022 दिनांक 07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या–650/12–1 दिनांक 12.09.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:–

क0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A (iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I, A (iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I, A पैरा–A(x) में वन भूमि कितने वर्षो हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है की सूचना अपलोड़ नहीं की गयी है। कृपया सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I, A पैरा–A(x) पर वाछिंत सूचना अपलोड कर दी गयी है।
3.	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I, के पैरा–B 2.3 में लाभान्वित होने वाले सभी ग्रामों का उल्लेख करते हुये सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I, के पैरा–B 2.3 में सूचना अपलोड कर दी गयी है।
4.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पैरा–E में कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है। सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाईन पैरा–E में सूचना अपलोड कर दी गयी है।
5.	प्रस्ताव में प्रपत्र–33 में पॉच ग्राम पंचायतों का लाभान्वित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्रों में एक ही ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र–23.1 को संशोधित कर प्रस्ताव में पुनः संलग्न किया गया है।
6.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट–II में कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में ऑनलाईन पार्ट–II में सूचना अंकित कर दी गई हैं।

क0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
7.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना संलग्न नहीं की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना से सम्बन्धित प्रपत्र पृष्ठ सं0 13–A में संलग्न कर दी गयी है।
8.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थलीय निरीक्षण आख्या (प्रपत्र–5) के बिन्दु–b पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थलीय निरीक्षण आख्या (प्रपत्र–5) के बिन्दु–b पर सूचना अंकित कर दी गयी है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मानचित्रों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि प्रस्तावित नहर, निर्माण हैड से आरम्भ होकर जंगल में समाप्त हो रही हैं, जो कि आबादी क्षेत्र से काफी दूरी पर है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कालाढूँगी नहर का निर्माण सन् 1860 बिट्रिश शासन काल में हुआ था, जिसकी कुल लम्बाई 8.97 किमी0 है। इस नहर के रींच किमी0 3.34 पर इसकी एक शाखा नहर झलुवाझाला नहर निकलती है, जिसकी लम्बाई 1.88 किमी0 है तथा किमी0 5.50 पर दूसरी शाखा नहर हरिपुर निकलती है, जिसकी लम्बाई 2.67 किमी0 है। बिट्रिश काल से ही बौर नदी पर कच्चा हैड बन्धा बनाकर कालाढूँगी नहर पर पानी चलाया जाता है। विगत कई वर्षो से इस हैड की स्थिति बदलती रही है। इस समस्या के निवारण हेतु यह योजना स्वीकृत हुई। प्रस्तावित निर्माण हैड से बिट्रिशकाल में बनी पक्की नहर से मिलाने हेतु यह नहर प्रस्तावित है। अतः नहर जंगल में समाप्त नहीं हो रही है तथा इसके आगे बिट्रिशकालीन पक्की कालाढूँगी नहर है।
10.	प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं मदवार विवरण पृष्ठ सं0 26–A पर संलग्न कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 413 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनके पत्रांक–650 / 12–1 दिनांक 12.09.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

13-9-22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)
dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 650 /12-1 12/09/2022

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, नैनीताल
पंजीकरण सं० 1564
पंजी० सं० 12-1
दिनांक 14-9-22

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 74/FP/UK/IRRIG/155063/2022 दिनांक 07.07.2022

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैः–

क0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A (iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A (iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I, A पैरा–A(x) में वन भूमि कितने वर्षो हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट– I, A पैरा–A(x) पर वाछिंत सूचना अपलोड कर दी गयी है।
3.	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I, के पैरा–B 2.3 में लाभान्वित होने वाले सभी ग्रामों का उल्लेख करते हुये सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट– I, के पैरा–B 2.3 सूचना अपलोड कर दी गयी है।
4.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पैरा–E में कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है। सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में ऑनलाईन पैरा–E सूचना अपलोड कर दी गयी है।
5.	प्रस्ताव में प्रपत्र–33 में पाँच ग्राम पंचायतों का लाभान्वित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्रों में एक ही ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र–23.1 को संशोधित कर प्रस्ताव में पुनः संलग्न किया गया है।
6.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट–II में कोई सूचना अपलोड नहीं की गयी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की प्रकरण में ऑनलाईन पार्ट–II में सूचना अंकित कर दी गई हैं।

7.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना संलग्न नही की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना से सम्बन्धित प्रपत्र पृष्ठ सं0 13–A संलग्न कर दी गयी है।
8.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थलीय निरीक्षण आख्या (प्रपत्र–5) के बिन्दु–b पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है की प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थलीय निरीक्षण आख्या (प्रपत्र–5) के बिन्दु–b पर सूचना अंकित कर दी गयी है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मानचित्रों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि प्रस्तावित नहर, निर्माण हैड से आरम्भ होकर जंगल में समाप्त हो रही हैं, जो कि आबादी क्षेत्र से काफी दूरी पर है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कालाढूँगी नहर का निर्माण सन् 1860 बिट्रिश शासन काल में हुआ था, जिसकी कुल लम्बाई 8.97 किमी0 है। इस नहर के रींच किमी0 3.34 पर इसकी एक शाखा नहर झलुवाझाला नहर निकलती है, जिसकी लम्बाई 1.88 किमी0 है तथा किमी0 5.50 पर दूसरी शाखा नहर हरिपुर निकलती है, जिसकी लम्बाई 2.67 किमी0 है। बिट्रिश काल से ही बौर नदी पर कच्चा हैड बन्धा बनाकर कालाढूँगी नहर पर पानी चलाया जाता है। विगत कई वर्षो से इस हैड की स्थिति बदलती रही है। इस समस्या के निवारण हेतु यह योजना स्वीकृत हुई। प्रस्तावित निर्माण हैड से बिट्रिशकाल में बनी पक्की नहर से मिलाने हेतु यह नहर प्रस्तावित है। अतः नहर जंगल में समाप्त नहीं हो रही है तथा इसके आगे बिट्रिशकालीन पक्की कालाढूँगी नहर है।
10.	प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं मदवार विवरण पृष्ठ सं0 26–A पर संलग्न कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न–प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– / तद्‌दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर